

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-531

उत्तर देने की तारीख-04/02/2026

एनटीए की कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता

531 डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) कई परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने में बार-बार विफल रही है और प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा स्थगन, बड़ी संख्या में गलत प्रश्नों को वापस लेना, परिणामों में देरी, परीक्षा पत्रों को स्कूल पाठ्यक्रम के अनुरूप न बनाना और बेहद खराब बुनियादी ढांचे वाले केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है; और

(ख) इन समस्याओं के क्या कारण रहे हैं और एनटीए की पूरी प्रक्रिया और प्रणाली में अक्षमता और कमजोरियों को दर्शाने वाली इस गंभीर स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है/करने का विचार रखती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश/फेलोशिप के लिए परीक्षा कराने वाली एक विशेष संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसके आरंभ से, एनटीए ने 6.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों हेतु 257 से अधिक परीक्षाएँ सफलतापूर्वक आयोजित की हैं।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। इस समिति ने दिनांक 21.10.2024 को भारत में राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के साथ संस्थागत संपर्क, ज्ञान और परीक्षा सहयोगी के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों को शामिल करने, विभिन्न चरणों पर अभ्यर्थियों का अधिप्रमाणन इत्यादि सहित कई उपाय शामिल हैं।

एनटीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन में सुधारों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय संचालन समिति पहले ही गठित की जा चुकी है।
